**प्रारूप-ख**

**सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप**

**[नियम, 2008 का नियम11 (1) (क) और 11(4) देंखें)]**

1. दावेदार (रों) का/के नामः **ग्राम सभा के सभी स्थाई सदस्यों के नाम (संलग्न प्रपत्र-4)**

क. एफडीएसटी समुदायः हां/नहीं

ख. ओटीएफडी समुदायः हां/नही

2. ग्राम:

3. ग्राम पंचायत:

4. प्रखंड:

5. जिला:

**प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूपः** [अधिनियम की धारा 3 (1) क से लेकर ड़ तक देखें]

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई होः (**संलग्न प्रपत्र- 6**) - नक्शा हक बर्तन के अनुसार अधिकारों का व्योरा **संलग्न प्रपत्र- 6** में दिया गया है।
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार ,यदि कोई हो: (**संलग्न प्रपत्र- 6**)- गौण वन उत्पादों तक पहूंच का प्रकार **संलग्न प्रपत्र- 6** व स्थानीय नाम, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अनुसार जंगलो का व्योरा **संलग्न प्रपत्र- 17** में दिया गया है।
3. सामुदायिक अधिकार:

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो:(**संलग्न प्रपत्र-6**)-मनुष्यों व मवेशियों के लिए पानी के विभिन्न इस्तेमाल का अधिकार **संलग्न प्रपत्र-6** में दिया गया है।

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो: (**संलग्न प्रपत्र-6**)-स्थानीय चराई हेतु जिन जंगलों का इस्तेमाल किया जाता है उसका व्यौरा **संलग्न प्रपत्र-6** में दिया गया है।

(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों (**संलग्न प्रपत्र-15**):

1. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हों:
2. जैवविधिता एक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई होः
3. औषधि से इलाज करने वालों का व्यौरा:
4. विशेष शिल्पकारों का व्यौरा:
5. विशेष प्रकार के वस्त्र बनाने का व्यौरा:
6. अन्य:

6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो **(संलग्न प्रपत्र-6):** हमारे पारम्परिक रास्तों, धार्मिक स्थलों का व्यौरा एवं अन्य पारंपरिक अधिकार **संलग्न प्रपत्र-6** में दिया गया है।

7. समर्थन में साक्ष्य: ( नियम 13 के अतंगर्त ):

1. दो बुज़ुर्ग व्यक्तियों के कथन (संलग्न प्रपत्र-6)

2. वन बन्दोवस्त की नकल (संलग्न प्रपत्र-6)

3. अन्य साक्ष्य (संलग्न प्रपत्र-6)

8. अन्य कोई सूचना:

1. साझी बैठक की सूचना (संलग्न प्रपत्र-10)

2. साझी बैठक का प्रस्ताव (संलग्न प्रपत्र-11)

3. जांच पड़ताल की सूचना (संलग्न प्रपत्र-9)

4. जांच पड़ताल एवं भौतिक सत्यापन की रिर्पोट (संलग्न प्रपत्र-12)

5. दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (संलग्न प्रपत्र-4)

**अध्यक्ष ग्राम प्रधान**

**वन अधिकार समिति**

**सचिव ग्राम सचिव**

**वन अधिकार समिति**